28-11-2017 पत्रावली पेश हुयी वादी अधिवक्ता उपस्थित एवं आदेश दिनांक 6-3-2017 अनुसार समन पेश नहीं किये दिनांक 28-11-2017 को पेश करना चाहते है प्रकरण दिनांक 28-11-2017 को पेश हो।

28-11-2017 पत्रावली पेश उपपदा
उपस्थित/[illegible] अधिवक्ता जी
अन्य कार्य पर [illegible] । पत्रावली
दिनांक 15-12-17 को पेश हो।

आदेश से रीडर

14-12-17 पत्रावली पेश हुई। दलील वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 व 2 सुनी गयी। दलील वादी ने शेष प्रतिवादीगण की तलबी बाबत प्रोसेस फीस पेश किये। जिन्हें जारी किये जावे। P.O. का इन्स राजकीय कार्य है अतः प्रतिवादी क्र. 1 व 2 के जवाब तथा प्रतिवादी क्र. 3 के 10 की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 14-3-18 को पेश हो। 120

14-3-18 पत्रावली पेश हुई। दलील वादी उपस्थित नहीं। वादी व वादी के दलील को कितनी ही अवैध विधि बाह्य आदेश दिये जाने के उपरांत भी काम 5.45 पर उपस्थित नहीं होने के कारण वादी का वाद पत्र खारिज व खर्च हर्जाना व खर्चा खारिज किया जाता है। पत्रावली के काम सुमार की जिम्मेदार दायित्व है।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Scanned by CamScanner